न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 134/2016 तारीख रजू:—03.10.2016

मिसल आई.डी. नं. 2016/00666

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. सागरिया पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —— मृतक

1/1. वीरसिंह पुत्र सागरिया जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन

1/2. राजेन्द्र पुत्र सागरिया जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन

1/3. भगवानदेई पुत्री सागरिया जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/4. सामन्ती बेबा सागरिया जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— सायलान

बनाम

1.	रूपसिंह	पिसरान सुकन्दी जाति माली निवासी बाढ करसौली
2.	गोपी	
3.	डीपी	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
4.	खुशी	
5.	बलवीर	———————————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट सायलान

2. श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :— 24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायल ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् डिवीजन ऑफ

होल्डिंग एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी उतरा नम्बर 1536 रकबा 42 ऐयर, खसरा नम्बर 1540 रकबा 20 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 62 ऐयर कृषि भूमि बाके ग्राम बाढ–करसौली तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिका नद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र सायल एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 15 वादपत्र की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त ही है जिसके सायल 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 (वादपत्र) 1/3 हिस्से के व प्रतिवादी संख्या 11 का 1/12 हिस्सा व प्रतितिवादी नं 12 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 13, 14 का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं 15 धनवाई (वादपत्र) का 1/12 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। सायल व प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 वादपत्र अपने अपने हिस्सा अनुसार बंटवारा बाहमी से उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायल ने अपने हिस्से की भूमि में असाढ में बाजरा बोया था जिसको पकने के बाद सायल ने ही दरोह किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि गैरसायलान का आराजी मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र से कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान जाति से माली दबंग जाति के है तथा विवादग्रस्त आराजी सायल के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि है तथा सायल जाति से अनुसूचित जाति का है इसलिए अनुचित जाति की जमीन को गैरसायलान को लेने अथवा उक्त

भूमि को काश्त करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। लेकिन गैरसायलान लठैत व पैसे वाले होने के कारण सायल की जमीन को जबरन लठठ की ताकत से हडपना चाहते है तथा सायल को झगडा फिसाद कर परेशान कर गांव से भगाना चाहते है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि दिनांक 27–9–2016 को सुबह 10 बजे गैरसायलान अपनी ट्यूबवेल से सायल के हिससे की चीन ने सिचाई करने लग गये। सायल ने गैरसायलान ते मना किया तो गैरसायलान ने कहा कि हम इसकी सिचाई कर इसमें जुताई कर बुवाई करेगें जबकि गैरसायलान को सायल अनुसूचित जाति की भूमि मे काश्त करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। गैरसायल संख्या 1 ता 5 लटठ के बल पर वादग्रस्त भूमि को काश्त करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 15 (वादपत्र) सायल का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने में किसी प्रकार की क्षति नहीं है जबकि पाबंद न किये जाने में सायल को अपूर्तनीय क्षति है जिसकी क्षतिपूर्ति दृव्य में होना संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि सायल का प्राइमाफेसी केस बखूबी रूप से साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी रूप ते साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि क्षतिपूर्ति का बिन्दू सायल के पक्ष में बखुबी रूप से साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा गय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर

के लिए पांबद किया जाये कि आराजी खसरा नम्बर 1536 रख्या 42 ऐयर, खसरा नम्बर 1540 रकबा 20 ऐयर बाके तन ग्राम बाढ करसौली सायल के 1/3 हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करे सायल को काश्त करने से नहीं रोके तथा गैरसायलान उक्त भूमि को सायल के जोत लगाकर उसमें जबरन बुवाई नहीं करे तथा विसी प्रकार से बेदखल नहीं करे। सायल को काश्त करने से नहीं रोके तथा ऐसा कोई कृत्य भी नहीं करे जिससे सायल को हक हकूकों को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति हो। तथा ऐसा कोई कृत्य किसी अन्य से भी नहीं कराये। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.11.2016 को गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 1 दावा पेश होना स्वीकार है लेकिन सायल को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2, 3 में दर्ज किया है कि मद नं0 2, 3 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4, 5 में दर्ज किया है कि मद नं0 4, 5 गलत है अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि मद नं0 6 जिस तरह से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। आराजी खसरा नं0 1536 का 1/3 हिस्से को सन 2005 से सायल की स्वीकृति से गैरसायल सं0 1 ता 5 का बाप मृतक सुकन्दी काश्त करता चला आ रहा है जिसमें सायल ने 60000/– रूप्ये में बेचान कर दिया था तभी से गैरसायल सं0 1 ता 5 के अलावा सुकन्दी की लडकी उगन्ती, निरी, कैलाशी, रूकमणि, गुडडी, अनीता व सुकन्दी व पत्नि चन्द्रबाई का भी कब्जा है। सुकन्दी के जायज वारिस व कायम मुकाम है। मुकदमा में आवश्यक पक्षकार है उनका जमीन पर कब्जा है उनके फरीक के अभाव में दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा काबिले खारिज है। गैरसायल सं0 1 ता 5 कोई लाठी वाले नहीं है। शांतिप्रिय आदमी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि मद नं0 7 गलत स्वीकार नहीं है। तारीख 27.06.2016 को सायल का गैरसायल सं0 1 ता 5 से कोई बात चीत नहीं हुई। प्रार्थना पत्र हाजा के मद सं0 7 सारी इबारत बेवुनियाद व गलत है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि मद नं0 8 गलत है स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9, 10, 11 में दर्ज किया है कि मद नं0 9, 10, 11 गलत है स्वीकार नहीं है।

उज्रात मजीद :–

1. यह कि मुकदमा हाजा में सुकन्दी के 6 पुत्री व पत्नि है जिनके नाम जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दिये जा चुके है उनके अभाव में दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा काबिले खारिज है।

2. यह कि प्रतिवादी खातेदार प्रहलाद की पुत्रीयां कमलेश व मिथलेश ओर है जिनके पक्षकार के अभाव में दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा काबिले खारिज है।

3. यह कि आराजी खसरा नं0 1536 में सायल ने प्रीतम जाटव करसौली व धन्नों स्त्री प्रीतम जाटव निवासी करसौली को बेच रखी है इस खसरा नम्बर में सागरिया का कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा काबिले खारिज है।

4. यह कि दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा में कब्जे की दादरसी नहीं चाही गई है। अतः दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा मेन्टीनेविल नहीं है। सायल ने कतई गलत बेवुनियाद दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा पेश किये है जो काबिले खारिज योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेद्याा पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाई जावे एवं हर्जा खास गैरसायल सं0 1 ता 5 को सायल से दिलवाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 पेश किया है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति इकरारनामा विक्रय 50 –50/–रूपया के दो नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प व सादा पेपर एक पर दिनांक 31.05.2005 उनवानी सगरिया पुत्र परभाती जाति चमार निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली बहक सुकन्दी पुत्र श्री श्रीमाली जाति माली निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–36 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.42 है0, 1540 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी ज्वानसिंह पुत्र कैलाश चन्द हि0 1/12, रोशनलाल प्रहलाद कुमार पि0 बुद्धीराम हि0 1/6 हि0ब0, सगरिया पुत्र परभाती हि0 1/3, सुखसिंह कैलाशी बनैसिंह पि0 गुमानी रामपति बेबा गुमानी हि0 1/3 जाति जाटव निवासी ग्राम, धनबाई पत्नि पीतमसिंह हि0 1/12 निवासी करसौली खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति इकरारनामा विक्रय 50 –50/–रूपया के दो नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प व सादा पेपर एक पर दिनांक 31.05.2005 उनवानी सगरिया पुत्र परभाती जाति चमार निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली बहक सुकन्दी पुत्र श्री श्रीमाली जाति माली निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन में खातेदार सगरिया पुत्र परभाती जाति चमार निवासी करसौली तहसील हिण्डौन ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग की भूमि का बेचान सुकन्दी पुत्र श्री श्रीमाली जाति माली निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के हक में किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा कब्जा भी केता सुकन्दी को संभलाना भी अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी ज्वानसिंह पुत्र कैलाश चन्द हि0 1/12, रोशनलाल प्रहलाद कुमार पि0 बुद्धीराम हि0 1/6 हि0ब0, सगरिया पुत्र परभाती हि0 1/3, सुखसिंह कैलाशी बनैसिंह पि0 गुमानी रामपति बेबा गुमानी हि0 1/3 जाति जाटव निवासी ग्राम, धनबाई पत्नि पीतमसिंह हि0 1/12 निवासी करसौली खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार सायलान उक्त विवादित आराजी में हि0 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। गैरसायलान के द्वारा पेश किया गया दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति इकरारनामा विक्रय 50 –50/–रूपया के दो नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प व सादा पेपर एक पर दिनांक 31.05.2005 उनवानी सगरिया पुत्र परभाती जाति चमार निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली बहक सुकन्दी पुत्र श्री श्रीमाली जाति माली निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली में किया गया विक्रय पत्र सैक्शन 42 का स्पष्ट उल्लंघन है अर्थात विकेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जिनकी खातेदारी की भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही हस्तातंरण/ बेचान किया जा सकता है। जबकि केता अन्य पिछडा वर्ग

का व्यक्ति है। इस प्रकार के हस्तातंरण कानूनन वैध नहीं है। इस प्रकार गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध या बास्ता किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। उक्त लिखावट के आधार पर गैरसायलान के द्वारा सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा किया जाना स्पष्ट रूप से साबित होता है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इसलिए दावे के निस्तारण तक विवादित आराजीयात में सायलान के हिस्से की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली